



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-23092026-276415
CG-OR-E-23092026-276415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4997]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 4997]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 22 सितंबर, 2026

का.आ. 5203(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 'ए') द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचना करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	जखपुरा और जोरली के बीच तीसरी और चौथी लाइन (170.153 कि.मी)	ओडिशा

[फा. सं. पूर्व तट रेलवे /सीई/कॉन/III/बीबीएस/ जेकेपीआर- जोरली/37ए/]

महेंद्र पिताला, मुख्य अभियंता(निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]
NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 22nd September, 2026

S.O. 5203(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Section-2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

TABLE
Special Railway Project

Sl No	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	3rd & 4th line between Jakhapura and Jorali (170.153 Km)	Odisha

[F. No. ECoR/CE/CON/III/BBS/ JKPR-JORALI/37A/]

MAHENDER PITTALA, Chief Engineer (Construction-III)